क्रम–संख्या–100

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 30 मार्च, 2015

चैत्र 9, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 445 / 79-वि-1–15-1(क)-16-2015

लखनऊ, 30 मार्च, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 पर दिनांक 30 मार्च, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2015 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2015)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में शब्द "आठ हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "बाइस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्-

"(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभा या परिषद् के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह धारा (2) के खण्ड (झ) में किसी पद पर आसीन हो या नहीं, 1 जून, 2015 से तीन लाख पच्चीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक मूल्य के रेल कूपन विहित रीति से दिये जायेंगे जो ऐसे सदस्य के द्वारा अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए किसी रेल से किसी श्रेणी में किसी समय उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर यात्रा के लिए ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किये जायें, उपयोग में लाये जा सकते हैं।"

(ख) उपधारा (2) में शब्द "साठ हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "अस्सी हजार रुपये" रख दिये जायेंगे,

(ग) उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक में,–

(1) खण्ड (क) में शब्द "समान मूल्य के कूपन" के स्थान पर शब्द "समान मूल्य के कूपन या किराये की प्रतिपूर्ति" रख दिये जायेंगे,

(2) खण्ड (ख) में शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "अट्ठारह हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 15 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द "सात सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (2) में शब्द "चार सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "आठ सौ रुपये" रख दिये जायेंगे,

(ग) उपधारा (3) में शब्द "चार सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "आठ सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 15-क का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 15-क में शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 18-क का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 18-क में, खण्ड (क) में,-

(क) शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "बीस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) शब्द "राज्य सरकार" के पश्चात् शब्द "या किसी सदस्य को, उसके विकल्प पर ऐसे चिकित्सा उपचार और सुविधाओं जिसमें औषधि भी सम्मिलित है पर उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।" बढ़ा दिये जायेंगे।

8-मूल अधिनियम की धारा 24 में, धारा-24 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द "आठ हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) परन्तुक में शब्द "सात सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

9-मूल अधिनियम की धारा 26-क में,— धारा 26-क का संशोधन

(क) शब्द तथा अंक "मृत्यु के समय उनकी जो पेंशन अनुमन्य होती हो उसकी 50 प्रतिशत के बराबर" के स्थान पर शब्द "मृत्यु के समय दिवंगत सदस्य को अन्यथा अनुमन्य पेंशन या रुपये दस हजार की पेंशन जो भी अधिक हो" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में शब्द और अंक "जो धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पेंशन का हकदार हो" को निकाल दिया जायेगा और शब्द और अंक "मृत्यु के समय उनको मिलने वाली पेंशन के 50% के बराबर" के स्थान पर शब्द "मृत्यु के समय ऐसे पूर्व सदस्य की पेंशन या रुपये दस हजार की पेंशन, जो भी अधिक हो" रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

"(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) ऐसे पति/पत्नी जो उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के आरम्भ के दिनांक को जीवित है, पर भी लागू होगी।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 के अधीन राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के सदस्य मासिक उपलब्धियाँ और अन्य सुविधायें पाने के हकदार हैं। भूतपूर्व सदस्य भी उक्त अधिनियम के अधीन पेंशन और अन्य सुविधायें पाने के हकदार हैं। भूतपूर्व सदस्यों, के पति/पत्नी भी अधिनियम के अधीन पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार हैं।

मूल्य वृद्धि और उत्तरदायित्वों की बढ़ोत्तरी को देखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के अनुमन्य वेतन, भत्ते, रेलवे कूपनों और अन्य सुख-सुविधाओं को पुनरीक्षित किया जाय और भूतपूर्व सदस्यों को अनुमन्य पेंशन एवं रेलवे कूपनों में वृद्धि की जाय।

उन भूतपूर्व सदस्यों, जिनका निधन वर्ष 1977 के पूर्व हुआ हो, के पति/पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। इस विसंगति को दूर करने के लिये यह विनिश्चय किया गया है कि ऐसे पति/पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिये प्रावधान किया जाय। इसके अतिरिक्त पेंशन, अतिरिक्त पेंशन और पारिवारिक पेंशन की धनराशि भी बढ़ायी जा रही है और पारिवारिक पेंशन के लिये रुपये 10,000/- की न्यूनतम सीमा भी आरम्भ की जा रही है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अनिरूद्ध सिंह,
प्रमुख सचिव।